न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (R.A.S.)

प्रार्थना पत्र सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
26 / 2022	27.06.2022	21.11.2022

/ /उनवान/ /

1 रमेशचन्द्र पुत्र भोलूराम जाति जाट निवासी चिरूणी तह0 मुण्डावर जिला अलवर।

:– प्रार्थी

बनाम

1 राज्य सरकार जरियें भूमिधारी श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

–: अप्रार्थी

2 प्रकाशचन्द

3 राजबीर पुत्रान भोलूराम जाति जाट निवासीयान चिरूणी तह0 मुण्डावर, अलवर।

:– तर0 अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136
भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः– श्री मदनलाल सांवरिया – वकील वादिया

निर्णय

दिनांक 21.11.2022

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित आये। प्रार्थी के प्रार्थनापत्र का सारतः रहा कि हाल आराजी ख0नं0 273 / 0.10, 274 / 0.10, 275 / 0.08, 276 / 0.10, 278 / 0.35, 285 / 0.18, 286 / 0.16, 287 / 0.16, 288 / 0.16, 289 / 0.33, 290 / 0.32, 291 / 0.13, 294 / 0.13, 295 / 0.06, 296 / 0.06, 297 / 0.21, 298 / 0.15, 299 / 0.43, 300 / 0.13, 301 / 0.15, 302 / 0.10, 303 / 0.01, 304 / 0.13, 310 / 0.27, 311 / 0.19, 314 / 0.19, 315 / 0.19, 316 / 0.06, 317 / 0.06, 318 / 0.05, 319 / 0.05, 320 / 0.10, 322 / 0.05 है0 वाके ग्राम चिरूणी त0 मुण्डावर जिला अलवर का 1 / 12 भाग विवादित रहा है जो साबिक ख0नं0 229, 230, 231, 232, 233, 234, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 263, 264, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 275 से पैमूद हुये है उक्त विवादित आराजी का 1 / 12 भाग मिन प्रार्थी व तर0 प्रार्थीगण के दादा नत्थू पुत्र गंगू के कब्जेकाश्त की आराजी रही है तथा मिन अप्रार्थी व तर0 अप्रार्थी का पिता अपने पिता के जीवनकाल में फौत हो गया था इसलिए उपरोक्त आराजीयात व अन्य आराजीयात हमे जरियें विरासत प्राप्त हुई है जिस पर मिन अप्रार्थी व तर0 अप्रार्थीगण हिस्सेनुसार काबिज काश्त है तथा दादा नत्थू की फौतगी पर उनका विरासत का इन्तकाल सं0 06 दिनांक 15.07.1975 को ग्राम पंचायत हटुण्डी द्वारा दर्ज किया गया तथा ग्राम पंचायत द्वारा दादा नत्थू के नाम दर्ज आराजी के 11 खातों का इन्तकाल तो मिन प्रार्थी व तर0 अप्रार्थीगण के नाम दर्ज व स्वीकार हो चुका तथा सहवन से खाता सं0 193 में वर्णित उपरोक्त आराजी का इन्तकाल दर्ज होने [illegible] नाम ही इन्द्राज दर्ज चला आ रहा है तथा इस इन्द्राज का कोई विधित औचित्य [illegible] उक[illegible]त अंकन की जानकारी अब दिनांक 04.03.2022 को रिकॉर्ड की नकल [illegible] प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर इन्तकाल सं0 06 दिनांक [illegible] फरमाये जाने का शुद्धिपत्र के आदेश फरमाये जाकर मृतक नत्थू का नाम [illegible] निवेदन रहा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:38:42 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]ण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी अप्रार्थी सं0 01 की ओर से जवाब पैरोकार पैश हुआ। मुताबिक जवाब पैरोकार प्रार्थी स्वयं सिद्व करे। अंकित करते हुये पैश सं0 08, 09 क्षेत्राधिकार, कोर्ट फीस एवं कानूनन के बाबात का अंकित कर पेश किया।

प्रार्थनापत्र की ताईद में प्रार्थी ने नकल जमाबंदी सम्वत् 2071–74 एवं विरासत इन्तकाल सं0 06 निर्णय दिनांक 15.07.1975 एवं नकल जमाबंदी सम्वत् 2033 व माता सुरस्ती देवी के मृत्यु प्रमाणपत्र की फोटोकॉपी प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली है।

वकील प्रार्थी की प्रार्थनापत्र के बाबत बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्राथनापत्र के जिम्मनों को दौहराते हुये अभिकथन किया की प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के पिता की फौतगी उनके दादा के जीवनकाल में ही हो जाने की स्थिति में दादा नत्थू पुत्र गंगू की समस्त कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजीयात के बाबत का विरासत इन्तकाल सीधे ही प्रार्थी एवं तर0 अप्रार्थीगण तथा इनकी माता सुरस्ती बेवा भोलू के नाम इन्तकाल सं0 06 दर्ज होकर दिनांक 15.07.1975 को स्वीकार हो चुका था लेकिन गत खाता सं0 193 में वर्णित उक्त विवादित आराजीयात का केवल मात्र एक खाते की आराजीयात का इन्तकाल दर्ज नहीं हो पाया था तथा प्रार्थी की माता सुरस्ती का देहान्त हो चुका है जिसके मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रति भी शामिल पत्रावली की जा चुकी है। जिस हेतु उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाई जाकर इन्तकाल सं0 06 दिनांक 15.07.1975 के अनुसार ही उपरोक्त आराजीयात में शुद्धिपत्र के आदेश फरमाये जाकर हाल राजस्व रिकॉर्ड पर हो रहे अंकन मृतक नत्थू के नाम को हजफ कर रिकॉर्ड शुद्ध कराये जाने का निवेदन किया।

वकील प्रार्थी की ध्यानपूर्वक बहस प्रार्थनापत्र सुनी गई व पत्रावली तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन उपरांत उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी के प्राथनापत्र को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी के हाल आराजी ख0नं0 273/0.10, 274/0.10, 275/0.08, 276/0.10, 278/0.35, 285/0.18, 286/0.16, 287/0.16, 288/0.16, 289/0.33, 290/0.32, 291/0.13, 294/0.13, 295/0.06, 296/0.06, 297/0.21, 298/0.15, 299/0.43, 300/0.13, 301/0.15, 302/0.10, 303/0.01, 304/0.13, 310/0.27, 311/0.19, 314/0.19, 315/0.19, 316/0.06, 317/0.06, 318/0.05, 319/0.05, 320/0.10, 322/0.05 है0 वाके ग्राम चिरूणी त0 मुण्डावर जिला अलवर के बाबत के प्रार्थनापत्र को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में प्रार्थी के प्रार्थनापत्र को स्वीकार किया जाता है एवं राजस्व रिकॉर्ड में अंकित मृतक नत्थू के नाम को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं आराजीयात के बाबत पूर्व में निर्णित इन्तकाल सं0 06 दिनांक 15.07.1975 के अनुसार जरियें शुद्धिपत्र हाल राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस हेतु तहसीलदार मुण्डावर को उक्त निर्णय की प्रति के साथ अकाम जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 21.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

2022

(पक... ...)

मुण्डावर, जिला ...

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:38:42 IST
Reason: SelfAttested